भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:5707

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीदर में एबी-पीएमजेएवाई का कम उपयोग

†5707. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के बीदर जिले में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के कम उपयोग की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जागरूकता, कार्ड सक्रियण और लाभार्थी आउटरीच के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी अस्पतालों को सीमित संख्या में पैनल में शामिल करने के मुद्दे की जांच की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे विस्तारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सेवाओं से इनकार अथवा अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) बीदर में नकदरहित स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निगरानी, शिकायत निवारण तथा सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर आयुष्मान कार्ड वितरण बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इस संबंध में, एनएचए ने "आपके द्वार आयुष्मान" नामक मिशन-मोड अभियान चलाया, जिसके तहत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सामान्य सेवा केंद्रों जैसे सेवा प्रदाताओं के एजेंटों से बने ऑन-ग्राउंड टास्कफोर्स का गठन किया गया, ताकि घर-घर जाकर लाभार्थियों को जागरूक किया जा सके और आयुष्मान कार्ड बनवाने में उनकी सहायता की जा सके।

लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस-2.0) स्व-सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक मध्यस्थों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। आयुष्मान मोबाइल एप्लिकेशन फेस-ऑथ तकनीक का उपयोग करके लाभार्थी चलते-फिरते सत्यापन कर सकता है और कार्ड बनवा सकता है।

इस योजना में जागरूकता का प्रसार करने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति निहित है। इसमें समाचार पत्र, सामुदायिक रेडियो, सड़क नाटक, डिजिटल

डिस्प्ले, रेडियो अभियान, सामूहिक संदेश, लाभार्थियों के प्रशंसापत्र का प्रसारण आदि सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन शामिल हैं।

दिनांक 28.02.2026 तक, कर्नाटक में कुल 1.90 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें बीदर जिले में बनाए गए 4.57 लाख आयुष्मान कार्ड भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, बीदर जिले में इस योजना का उपयोग वर्ष-दर-वर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस जिले में अस्पताल में भर्तियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	**अस्पताल में भर्तियों की प्राधिकृत संख्या**	**प्राधिकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
2021-2022	29,559	23.25
2022-2023	40,627	29.75
2023-2024	56,306	34.94
2024-2025	62,465	39.78

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाना पूरी तरह स्वैच्छिक है। तथापि, निजी अस्पतालों के पैनल में शामिल होने की संख्या वर्ष-दर-वर्ष लगातार बढ़ रही है, जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	**पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या**
2021-22	7,512
2022-23	9,103
2023-24	12,018
2024-25	14,496
2025-26 *(24.03.2026 की स्थिति के अनुसार)*	16,499

एनएचए योजना के तहत उपयोग पैटर्न की निरंतर निगरानी करता है और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। इस योजना के तहत, पैनल में शामिल किए जाने से संबंधित समस्या सहित अस्पतालों की समस्याओं का वास्तविक समय आधार पर समाधान करने के लिए अस्पताल-विशिष्ट टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14413 स्थापित किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, पैनलबद्ध अस्पताल पात्र लाभार्थियों को उपचार से वंचित नहीं कर सकते। उपचार प्राप्त करने में किसी भी अनियमितता या पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली या 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, ऐसी शिकायतों की निगरानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों की जांच और समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियाँ नियुक्त हैं।
